न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या – 97 / 2018

पैरोकार सरकार

....प्रार्थी

बनाम

राज० सरकार

..................................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 संपठित भू.अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार

निर्णय दिनांक : 18/6/18

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार जमवारामगढ ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3 (2)राज–6 पार्ट दिनांक 10 अगस्त, 2016 की पालना में इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम कानड्यावाला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 185/1 भूमि जिसकी खातेदारी रामधन कल्याण, लक्ष्मीनारायण व अन्य के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमें 80 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई का जिसका कुल क्षेत्रफल 320 वर्गमीटर है।

चूंकि मौके पर चालू सार्वजनिक रास्ता/सड़क आवागमन के काम आ रही है तथा भूमि का स्वरूप भी परिवर्तन हो चुका है जिसके फलस्वरूप इस सड़क का रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक है जिससे की राजस्व रिकार्ड की मौका एवं नक्शा की स्थिति अद्यतन रह सकें।

हमनें पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार जमवारामगढ एवं जमाबन्दी तथा संलग्न नक्शें का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त सड़क का रिकार्ड में अमल किया जाना हमारी राय में आवश्यक है। अतः राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 संपठित भू.अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार राजस्थान सरकार की खातेदारी में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शें के अनुसार भूमि की किस्म डामर रोड रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तदानुसार रिकार्ड में अमल कर पालना से अवगत करावें। निर्णय आज दिनांक 18/6/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ